

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 23 जून 2017

विषय:- अलीगढ़ में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नानऊ से दादऊ मार्ग (एमडीआर-82डब्लू) किमी 0.01 से 30 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावित 10.184 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1434 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

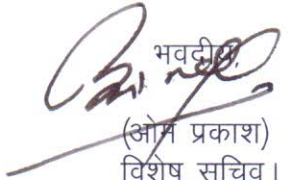
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/ 06/05/2017/एफसी/62, दिनांक 26-05-2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 2444/अलीगढ़/14208/2015, दिनांक 31-5-2017 भारत सरकार का प्रेषित करते हुये शासन को सूचनार्थ उपलब्ध कराया गया है। विषयगत प्रकरण में शासन के पत्र संख्या-पी-54/14-2-2017-800(194)/2016, दिनांक 19-5-2017 द्वारा अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख प्रेषित किया जा चुका है। तत्कम में क्षेत्रीय सशक्त समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

3- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 08-6-2017 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में कृपया विषयगत प्रकरण को क्षेत्रीय सशक्त समिति की आगामी बैठक में विचारार्थ सम्मिलित करते हुये विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।


(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-1323(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।